प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

सतत पैरवी कर 10 गैंगेस्टर अभियुक्तों को करायी गयी सजा

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारी को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके क्रम में सतत पैरवी के फलस्वरूप विगत माह में सात प्रकरणों/वादों में माननीय न्यायलय द्वारा विचारण पूर्ण कर दस गैंगेस्टर अभियुक्तों को सजा सुनायी गयी है। पुलिस द्वारा न्यायालय द्वारा निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट द्वारा निम्नलिखित प्रकरणों में सजा सुनायी गयी। विवरण निम्नवत् है:-

1. **थाना हरगांव** से संबंधित मु0अ0सं0 334/18 धारा 2/3 यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट में अभियुक्त 1.नरेंद्र रावत पुत्र रावेंद्र कुमार नि0 रामनगर खटकारी सिंघानिया दुग्ध फैक्ट्री के पीछे थाना रामकोट सीतापुर 2.मुनन्ने पुत्र मुस्ताक नि0 सिंकदराबाद थाना नीमगांव जनपद खीरी को अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा 5000-5000 का जुर्माना व 2-2 वर्ष की सजा सुनायी गयी।

2. **थाना हरगांव** से संबंधित मु0अ0सं 354/18 धारा 2/3 यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट में अभियुक्त बिशुन पंडित पुत्र सोबरन लाल को अपर सत्र न्यायाधीश 06 द्वारा 5000 का जुर्माना व 2 वर्ष की सजा सुनायी गयी।

3. **थाना मिश्रिख** से संबंधित मु0अ0सं0 42/19 धारा 2/3 यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट में अभियुक्त सूरज कहार पुत्र शिवसागर व पप्पू रैदास को अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्तो को 5000-5000 का जुर्माना व 2-2 वर्ष की सजा सुनायी गयी।

4. **थाना अटरिया** से संबंधित मु0अ0सं 551/08 धारा 2/3 यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट में अभियुक्त रामे पुत्र नन्हू नि0 मनवा थाना अटरिया सीतापुर को अपर सत्र न्यायाधीश 06 द्वारा 5000 का जुर्माना व 2 वर्ष की सजा सुनायी गयी।

5. **थाना सिधौली** से संबंधित मु0अ0सं 812/09 धारा 2/3 यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट में अभियुक्त परशुराम पुत्र रघुनंदन नि0 झखरावां थाना सिधौली को अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा 5000 का जुर्माना व 2 वर्ष की सजा सुनायी गयी।

6. **थाना संदना** से संबंधित मु0अ0सं 272/08 धारा 2/3 यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट में अभियुक्त स्वराज पुत्र पुतई नि0 गुजरेहटा थाना संदना सीतापुर व खुनखुन रैदास पुत्र लल्तू नि0 बमनगुजोटा थाना संदना सीतापुर को अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा को 5000-5000 का जुर्माना व 2-2 वर्ष की सजा सुनायी गयी।

7. **थाना कोतवाली** से संबंधित मु0अ0सं 661/20 धारा 504/506 भादवि व 2/3 यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट में अभियुक्त संजय सिंह पुत्र वीरेंद्र सिंह नि0 तेंदवार थाना इमलिया सुल्तानपुर को अपर सत्र न्यायाधीश 06 द्वारा 5000 का जुर्माना व 2 वर्ष की सजा सुनायी गयी।